कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 635 /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल, दिनांक 17/01/2024

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र भोपाल/(वि./यां.) भोपाल/
   इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   मंडल..............................
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   खंड....................................

विषयः– क्रमोन्नती/समयमान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दायर किये गये न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी हेतु "आदेश प्रारूप" भिजवाने विषयक।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र कमांक 14146 दिनांक 23.10.2023 एवं पत्र कमांक 16123 दिनांक 29.12.2023

—0—

कृपया इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिनके माध्यम से कार्यभारित स्थापना के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2001 में कार्यभारित वाहन चालकों को दिये गये क्रमोन्नती योजना के लाभ एवं वर्ष 2008 में नियमित कर्मचारियो हेतु लागू की गई समयमान योजना का लाभ चाहने संबंधी रिट याचिकाओं का "विलंब और अवधि बीत जाने" के आधार पर प्रतिरक्षण करने एवं इस प्रकृति के अलग–अलग श्रेणी के प्रकरणों का निराकरण किस भांति किया जाना है, के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

इस कार्यालय के संज्ञान में इस प्रकृति के ऐसे प्रकरण भी आये हैं, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णित किसी अन्य प्रकरण का उदाहरण देते हुये उसमें पारित निर्णय के प्रकाश में, याचिकाकर्ता कर्मचारियों के अभ्यावेदनों का निराकरण स्पीकिंग आदेश के माध्यम से करने के आदेश दिये गये है।

कृपया ध्यान दें कि इस प्रकृति के प्रकरणों में क्रमोन्नती/समयमान योजना की स्वीकृति/स्वीकृति का प्रस्ताव उच्च कार्यालय को भेजने के स्थान पर, इनका पूर्ण परीक्षण किया

Seema 2024

17/1

a

जाना है तथा यदि यह पाया जाता है कि प्रकरण में Cause of action उत्पन्न होने के बाद अत्याधिक विलंब से दायर किया गया है तो उसे **"विलंब और अवधि बीत जाने"** के आधार पर अमान्य किये जाने की कार्यवाही की जानी है।

इसी प्रकृति के एक प्रकरण जिसमें 04 कर्मचारी वर्ष 1987–88 में कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुये थे एवं वर्ष 2016–18 में सेवानिवृत्त हुये थे तथा एक अन्य कर्मचारी जो वर्ष 2003 मे कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुआ था तथा वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त हुआ था के द्वारा 12 वर्ष के उपरांत कमोन्नती योजना के लाभ हेतु तथा 10 , 20 वर्ष, 30 वर्ष की सेवा उपरांत समयमान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021 में रिट याचिका दायर की गई थी।

उक्त रिट याचिका का निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा एक अन्य रिट याचिका में पारित निर्णय के प्रकाश में अभ्यावेदन के निराकरण के आदेश के माध्यम से किया गया था। लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिस रिट याचिका में पारित निर्णय के प्रकाश में अभ्यावेदन निराकरण करने के आदेश दिये गये थे, उसमें याचिकाकर्ता कर्मचारी को उक्त लाभ विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत किये गये थे। ऐसे प्रकरण में अभ्यावेदनों का निराकरण इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये आदेश के माध्यम से किया गया हैं, जिसकी प्रतिलिपी आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके खंड/मंडल/परिक्षेत्र के अधीनस्थ इस प्रकृति के प्रकरण हैं जिनमें कमोन्नती/समयमान योजना का लाभ चाहा गया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा अभ्यावेदन निराकरण के आदेश दिये गये हैं तो प्रकरण की प्रकृति को देखते हुये जहाँ तक संभव हो सके इस आदेश प्रारूप के अनुसार ही स्पीकिंग आदेश जारी करने का कष्ट करें।

यदि आपको इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो इस कार्यालय की विधि शाखा से आवश्यक मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जा सकता है।

कृपया निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्नः– **उपरोक्तानुसार**
आदेश प्रारूप

17/1

प्रमुख अभियंता

b

अभ्यावेदन निराकरण आदेश का नमूना प्रारूप

अति आवश्यक
तत्काल
समय-सीमा

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन,बाणगंगा,भोपाल

क्रमांक 47 /प्र.अ.(विधि)/लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक 16/01/2024

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन कमांक 25086/2021 (हरीश तिवारी एवं 04 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खंड कमांक–2 इंदौर के अधीनस्थ कार्यरत रहे 05 सेवानिवृत्त कार्यभारित स्थापना के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों क्रमशः (1) श्री हरीश तिवारी (लाईन मेन) (2) श्री अशोक पेंटर (पेंटर) (3) श्री भीमराव (प्लम्बर) (4) श्री जगदीश पाल (हेल्पर) एवं (5) श्री नागेन्द्र सिंह (हेल्पर) के द्वारा रिट पिटीशन में चाही गयी सहायता के संबंध में निराकरण किया जा रहा है।

(1) श्री हरीश तिवारी एवं 04 अन्य सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट पिटीशन क. 25086/2021 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

(अ) याचिका को मान्य करते हुए प्रतिवादियों द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 07.09.2021 को निरस्त किया जावे।

(ब) प्रतिवादियों को आदेश दिये जावे कि वे याचिकाकर्त्ता कर्मचारियों को शासन द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार क्रमोन्नति योजना/समयमान वेतनमान योजना का लाभ सभी वित्तीय लाभों सहित प्रदान करे।

(स) प्रतिवादियों को आदेश दिये जावे कि वे याचिकाकर्त्ता कर्मचारियों को वेतन एरियर की राशि एव पेंशन लाभ प्रदान करें।

एडीस पोर्टल

(2) माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित आदेश दिनांक 22 नवंबर 2021 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

On due consideration of aforesaid, the petition is disposed of by directing the petitioners to file a fresh representation within a week before the respondent No.4, who shall decide the same in accordance with law within a period of 6 weeks therefrom by passing a reasoned and speaking order taking into consideration the decision relied upon by the petitioners in Writ Appeal No.867/2020.

It is made clear that this Court has not expressed any opinion on merits of the matter.

(3) रिट याचिका क. 25086/2021 में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 के अनुपालन में सभी 05 सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियो की ओर से एक संयुक्त अभ्यावेदन अधिवक्ता प्रखर मोहन कर्पे के माध्यम से दिनांक 11.04.2022 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मुख्य अभियंता इंदौर द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 16.03.2022 पर आपत्ति करते हुए याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा दिनांक 23.08.2021 को प्रस्तुत अभ्यावेदन जो नियमित स्थापना के कर्मचारियों के समान क्रमोन्नति/समयमान योजना के लाभ प्रदान करने से संबंधित था, को मान्य करने का निवेदन किया गया है।

(4) रिट याचिका में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 का पालन नहीं हो पाने के कारण याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष अवमानना याचिका कमांक 4347/2023 दायर की गई है। उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई दिनांक 18.12.2023 को माननीय न्यायालय ने प्रमुख अभियंता को याचिकाकर्ता कर्मचारियों के कमोन्नती/समयमान योजना की स्वीकृति से संबंधित प्रकरण पर पुनः विचार करने तथा इन योजनाओं की स्वीकृति से उत्पन्न होने वाली एरियर राशि का लाभ देने के बारे में रिट अपील कमांक 867/2020 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2020 के आधार पर निर्णय लेने के लिये 01 माह की समयावधि प्रदान की है।

(5) प्रकरण में मान न्यायलय द्वारा विभाग को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना याचिकाकर्ता कर्मचारियों के अभ्यावेदनों का निराकरण रिट अपील क्रमांक 867/2020 (म.प्र.शासन एवं अन्य बनाम फूल सिंह) में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2020 के अनुसार करने हेतु आदेशित किया गया है । उक्त निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा वादी कर्मचारी श्री फूल सिंह को कमोन्नति/समयमान योजना का लाभ दिया जा चुका है तथापि यह पाया गया है कि वर्तमान में विभाग के समक्ष उपलब्ध न्यायलयीन दृष्टांतो के मद्देनजर, शासन हित में विभाग द्वारा इस प्रकृति के प्रकरणों के निराकरण में कानून की विस्तृतता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा अधिवक्ता श्री प्रखर मोहन कर्पे के माध्यम से प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 11.04.2022 का निराकरण निम्नानुसार किया जाता हैः—

इस कार्यालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया है तथा यह पाया गया है किः—

(अ) कार्यभारित कर्मचारियों को कमोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने संबंधी प्रकरण, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 5—4/1/वेआप्र/98 भोपाल दिनांक 27 मार्च 2001/29 मार्च 2001 पर आधारित है, जिनमें कार्यभारित स्थापना के अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यभारित वाहन चालकों के समान 12 वर्ष एवं 24 वर्ष के उपरांत उक्त परिपत्र के माध्यम से उन्हें दिनांक 19.04.1999 से नियमित स्थापना के कर्मचारियों के सामान दिए गए दो कमोन्नत वेतनमान का लाभ चाहा गया है। कार्यभारित वाहन चालकों के समान लाभ प्राप्त करने के लिये कर्मचारियों द्वारा **"रिट पिटीशन कमांक 1070/2003 (के.एल.अरारे बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) (निर्णय दिनांक 07.11.2005) एवं तेजूलाल यादव बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य [ILR (2009) MP 1326]** प्रकरण का सहारा लिया गया है। यदि इन प्रकरणों का न्यायालयीन दृष्टांतों एवं परिपत्र दिनांक 27 मार्च 2001/29 मार्च 2001 के आधार पर विश्लेषण किया जावे तो यह पाया जाता है कि :—(i) यदि परिपत्र को आधार बनाया जाये तो करीब 20 वर्षो के उपरांत एवं यदि (ii) न्यायालयीन दृष्टांतों को आधार बनाया जावे तो करीब 12—13 वर्षों के उपरांत रिट याचिका दायर की गई हैं ।

(ब) इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा नियमित कर्मचारियों के लिये वर्ष 2008 में लागू की गई समयमान योजना (वित्त विभाग का परिपत्र कमांक एफ11/1/2008/नियम/चार/भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2008) का लाभ भी अपनी रिट याचिका के माध्यम से चाहा गया है। यदि

परिपत्र के जारी होने के दिनांक को देखा जाये तो इस तरह के लाभ हेतु भी 12–13 वर्षो के पश्चात रिट याचिका दायर की गयी हैं।

(स) याचिकाकर्ता कर्मचारी क्रमांक 01, 02 , 03 एवं 04 के द्वारा रिट याचिका के माध्यम से चाहे गए लाभ वर्ष 1999–2001 में ही देय हो गए थे जबकि याचिकाकर्ता कर्मचारी क्रमांक 05 हेतु ये लाभ वर्ष 2013 में देय हो गए थे । उक्तानुसार इस प्रकरण में ज्यादातर कर्मचारियों हेतु Cause Of Action वर्ष 2001 में ही उत्पन हो गया था जबकि याचिकाकर्ता कर्मचारी क्रमांक 05 के मामले में यह वर्ष 2013 में उत्पन्न हो गया था । प्रकरण में यदि Cause Of Action को आधार बनाया जाये तो पहले चार कर्मचार्रियों द्वारा रिट याचिका दायर करने में 17 वर्ष का एवं पाचवे कर्मचारी द्वारा 05 वर्ष का विलम्ब किया गया है। लेख है कि याचिकाकर्ता कर्मचार्रियों का प्रकरण त्रुटिपूर्ण वेतन को सुधरने से सम्बन्ध रखता है तथा इस हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 में अधिकतम समय सीमा Cause Of Action उत्पन्न होने के उपरांत 03 वर्ष तक निर्धारित की गई है ।

(द) यदि इस प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित "एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ के अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21 अगस्त 1995 [1996 AIR 669]" एवं सिविल अपील क्रमांक 5151-5152 /2008 **"भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह"** में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2008 में उल्लेखित "Continuons Cause of action" के दृष्टिकोण से भी देखा जाये, तो याचिकाकर्ता कर्मचारियों को रिट याचिका दायर करने के दिनांक से मात्र 03 वर्ष पूर्व तक की ही एरियर राशि की पात्रता आती है जबकि उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के 3–5 वर्ष के पश्चात क्रमोन्नती योजना/समयमान योजना का लाभ लेने के लिये रिट याचिका दायर की गई है। इसलिए इस याचिका के माध्यम से उन्हें कोई एरियर राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती है ।

(इ)यदि इस प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत "Continuons Wrong" के दृष्टिकोण से भी देखा जाये, तो यह पाया जाता है कि वित्त विभाग म.प्र.शासन द्वारा आदेश कमांक एफ 11–13/1661/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 21.09.2016 के माध्यम से, वर्ष 2008 में नियमित कर्मचारियों को दिये गये समयमान वेतनमान के लाभ को कार्यभारित कर्मचारियों हेतु लागू कर दिया था। सभी याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियों को रिट याचिका के माध्यम से चाहे गए 01, 02 अथवा 03 उच्च स्तरीय वेतनमानों का लाभ दिनांक 01.01.2016 से दिये जा चुके हैं।

(फ)याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका दायर करने में किये गए अत्यधिक विलम्ब को देखते हुए उन्हें रिट याचिका के माध्यम से चाहे गए लाभ वास्तविक देय दिनांकों से प्राप्त करने हेतु अपात्र घोषित करना उचित प्रतीत होता है । वैसे भी उनके द्वारा चाहे गए लाभ किसी सेवा नियम अथवा प्रशासकीय आदेश पर आधारित नहीं है । ये लाभ मात्र मान न्यायालयों द्वारा

16

करीब 12 से 16 वर्ष पूर्व पारित निर्णयों पर आधारित है । उनकी रिट पिटिशन में इस बाबत कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है कि उन्होंने न्यायलय के समक्ष जाने में इतना बिलम्ब क्यों किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि याचिकाकर्ता कर्मचारियों ने उनके लिये वर्ष 2016 में लागू की गई पॉलिसी का लाभ लेते समय अथवा पॉलिसी लागू करने के दिनांक से, वर्तमान रिट याचिकायें दायर करने के पूर्व तक, उक्त पॉलिसी के विरोध में कोई बात नहीं कही है तथा उक्त पॉलिसी को पूर्णतः स्वीकार किया है। पॉलिसी को स्वीकार करने एवं उसका लाभ लेने के 5–6 वर्षो पश्चात इस तरह के लाभ पूर्व के दिनांकों से प्राप्त करने हेतु रिट याचिकायें दायर करना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है।

(य)याचिकाकर्ता कर्मचारियों का दावा अत्याधिक विलंब एवं अवधि बीत जाने से संबंध रखता हैं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विभिन्न न्यायदृष्टान्तों के आधार पर विलंब एवं अवधि बीत जाने के आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित **विलम्ब एवं अवधि बीत जाने से** सम्बंधित कुछ न्यायदृष्टान्त निॅम्नानुसार हैः–

(i) The Apex Court in State of T.N. v. Seshachalam (2007) 10 SCC 137 observed that it is now well settled that filing of series of representations cannot extend the period of limitation to condone the laches on the part of the petitioner and Delay or Laches are a relevant factor for a court of law to determine the question as to whether the claim made by an applicant deserves consideration as law leans in favour of those who are alert and vigilant.

(ii) In C. Jacob v. Director of Geology and Mining and another (2008)10 SCC 115 the Apex Court held that Reply to the representation relating to matter which have become stale or barred by limitation, can be rejected on that ground alone, without examining the merits of the claim. The replies to such representations cannot furnish a fresh cause of action or revive a stale or dead claim.

(iii) In State of Maharastra v. Digambar reported in AIR 1995 SC 1991, the Honble Supreme Court held as follows:

> 12. How a person who alleges against the State of deprivation of his legal right, can get relief of compensation from the State invoking writ jurisdiction of the High Court under article 226 of the Constitution even though, he is guilty of laches or undue delay is difficult to comprehend, when it is well settled by decision of this Court that no person, be he a citizen or otherwise, is entitled to obtain the equitable relief under Article 226 of the Constitution if his conduct is blame- worthy because of laches, undue delay, acquiescence, waiver and the like.

18/1

Moreover, how a citizen claiming discretionary relief under Article 226 of the Constitution against a State, could be relieved of his obligation to establish his blameworthy conduct for getting such relief, where the State against which relief is sought is a welfare State, is also difficult to comprehend. Where the relief sought under Article 226 of the Constitution by a person against the welfare State is founded on its alleged illegal or wrongful executive action, the need to explain laches or undue delay on his part to obtain such relief, should, if anything, be more stringent than in other cases, for the reason that the State due to laches or undue delay on the part of the person seeking relief, may not be able to show that the executive action complained of was legal or correct for want of records pertaining to the action or for the officers who were responsible for such action not being available later on.

Further, where granting of relief is claimed against the State on alleged unwarranted executive action, is bound to result in loss to the public exchequer of the State or in damage to other public interest, the High Court before granting such relief is required to satisfy itself that the delay or laches on the part of a citizen or any other person in approaching for relief under Article 226 of the Constitution on the alleged violation of his legal right, was wholly justified in the facts and circumstances, instead of ignoring the same or leniently considering it.

Thus, in our view, persons seeking relief against the State under Article 226 of the Constitution, be they citizens or otherwise, cannot get discretionary relief obtainable thereunder unless they fully satisfy the High Court that the facts and circumstances of the case clearly justified the laches or undue delay on their part in approaching the Court for grant of such discretionary relief. Therefore, where a High Court grants relief to a citizen or any other person under Article 226 of the Constitution against any person including the State without considering his blame-worthy conduct, such as laches or undue delay, acquiescence or waiver, the relief so granted becomes unsustainable even if the relief was granted in respect of alleged deprivation of his legal right by the State.

(iv) The Apex Court in Union of India v. M.K. Sarkarb (2010) 2 SCC 59 held as follows:

16/1

"The order of the Tribunal allowing the first application of respondent without examining the merits, and directing appellants to consider his representation has given rise to unnecessary litigation and avoidable complications. When a belated representation in regard to a 'stale' or 'dead' issue/dispute is considered and decided, in compliance with a direction by the Court/Tribunal to do so, the date of such decision can not be considered as furnishing a fresh cause of action for reviving the 'dead' issue or time-barred dispute.

The issue of limitation or delay and laches should be considered with reference to the original cause of action and not with reference to the date on which an order is passed in compliance with a court's direction. Neither a court's direction to consider a representation issued without examining the merits, nor a decision given in compliance with such direction, will extend the limitation, or erase the delay and laches."

(v) The Apex Court in S.S. Balu vs. State of Kerala (2009) 2 SCC 479 in the following terms:

"17. It is also well-settled principle of law that "delay defeats equity". The Government Order was issued on 15-1-2002. The appellants did not file any writ application questioning the legality and validity thereof. Only after the writ petitions filed by others were allowed and the State of Kerala preferred an appeal there against, they impleaded themselves as party-respondents.

It is now a trite law that where the writ petitioner approaches the High Court after a long delay, reliefs prayed for may be denied to them on the ground of delay and laches irrespective of the fact that they are similarly situated to the other candidates who obtain the benefit of the judgment. It is, thus, not possible for us to issue any direction to the State of Kerala or the Commission to appoint the appellants at this stage."

(vi) In Board of Secondary Education of Assam v. Mohd. Sarifuz Zaman, reported in (2003) 12 SCC 408, the Apex Court has observed as follows:

12. Delay defeats discretion and loss of limitation destroys the remedy itself. Delay amounting to laches results in benefit of discretionary power being denied on principles of equity. Loss of limitation resulting into depriving of the remedy, is a principle based on public policy and utility and not equity alone.

161

(vii) In Virender Chaudhary v. Bharat Petroleum Corporation reported in 2009 (1) SCC 297, the Apex Court held that the court exercises its jurisdiction only upon satisfying itself that it would be equitable to do so and also observed that Delay/ Latches, indisputably, are the relevant factors. The Court held thus:

> 15. The Superior Courts, times without number, applied the equitable principles for not granting a relief and/or a limited relief in favour of the applicant in a case of this nature. While doing so, the court although not oblivious of the fact that no period of limitation is provided for filing a writ petition but emphasize is laid that it should be filed within a reasonable time. A discretionary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India need not be exercised if the writ petitioner is guilty of delay and latches.

(viii) In Lipton India Ltd. v. Union of India [(1994) 6 SCC 524] and M.R.Gupta v. Union of India [(1995) 5 SCC 628]) the Apex Court held that Although, there is no period of limitation provided for filing a writ petition under Article 226 of the Constitution of India, ordinarily, writ petition should be filed within a reasonable time and in case of entitlement of arrear amount, it will be limited to the period of three years prior to the date of filing of writ petition.

(ix) In Veerayeeammal v. Seeniammal reported in 2002 (1) SCC 134, at Paragraph 13, is extracted here under:

> 13. The word reasonable has in law prima facie meaning of reasonable in regard to those circumstances of which the person concerned is called upon to act reasonably knows or ought to know as to what was reasonable. It may be unreasonable to give an exact definition of the word reasonable. The reason varies in its conclusion according to idiosyncrasy of the individual and the time and circumstances in which he thinks. The dictionary meaning of the reasonable time is to be so much time as is necessary, under the circumstances, to do conveniently what the contract or duty requires should be done in a particular case. In other words it means, as soon as circumstances permit.

(x) In Chennai Metropolitan Water Supply & Sewerage Board v. T. T. Murali Babu 2014 (4) SCC 108, the Apex Court held as follows:

> Thus, the doctrine of delay and laches should not be lightly brushed aside. A writ court is required to weigh the explanation offered and the acceptability of the same. The court should bear in mind that it is exercising an extraordinary and equitable jurisdiction. As a constitutional court it has a duty to protect the rights of the citizens but simultaneously it is

to keep itself alive to the primary principle that when an aggrieved person, without adequate reason, approaches the court at his own leisure or pleasure, the Court would be under legal obligation to scrutinize whether the list at a belated stage should be entertained or not.

Be it noted, delay comes in the way of equity. In certain circumstances delay and laches may not be fatal but in most circumstances inordinate delay would only invite disaster for the litigant who knocks at the doors of the Court. Delay reflects inactivity and inaction on the part of a litigant a litigant who has forgotten the basic norms, namely, procrastination is the greatest thief of time and second, law does not permit one to sleep and rise like a phoenix.

Delay does bring in hazard and causes injury to the lis. In the case at hand, though there has been four years delay in approaching the court, yet the writ court chose not to address the same. It is the duty of the court to scrutinize whether such enormous delay is to be ignored without any justification. That apart, in the present case, such belated approach gains more significance as the respondent-employee being absolutely careless to his duty and nurturing a lackadaisical attitude to the responsibility had remained unauthorisedly absent on the pretext of some kind of ill health. We repeat at the cost of repetition that remaining innocuously oblivious to such delay does not foster the cause of justice.

On the contrary, it brings in injustice, for it is likely to affect others. Such delay may have impact on others ripened rights and may unnecessarily drag others into litigation which in acceptable realm of probability, may have been treated to have attained finality. A court is not expected to give indulgence to such indolent persons who compete with Kumbhakarna or for that matter Rip Van Winkle. In our considered opinion, such delay does not deserve any indulgence and on the said ground alone the writ court should have thrown the petition overboard at the very threshold.

(xi) In Prabhakar v. Joint Director, Sericulture Department reported in 2015 (3) SCC 1, the Apex Court held as follows:

37. Let us examine the matter from another aspect viz. laches and delays and acquiescence.

18/11

38. It is now a well-recognised principle of jurisprudence that a right not exercised for a long time is non-existent. Even when there is no limitation period prescribed by any statute relating to certain proceedings, in such cases courts have coined the doctrine of laches and delays as well as doctrine of acquiescence and non-suited the litigants who approached the Court belatedly without any justifiable explanation for bringing the action after unreasonable delay. Doctrine of laches is in fact an application of maxim of equity delay defeats equities.

(6)यदि इस तरह के लाभ विभाग में कार्यरत कुछ समान प्रकृति के कार्यभारित कर्मचारियों को उनके प्रकरण में विलम्ब एवं अवधि बीत जाने को ध्यान नहीं दिए जाने के कारण प्राप्त हुये है तो इस आधार पर याचिकाकर्ता कर्मचारियों को भी वास्तविक देय दिनांकों से क्रमोंन्नति/समयमान वेतनमान योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती है क्योकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरण **''इंडियन काउंसिंल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अन्य विरूद्ध टी.के.सूर्यनारायणन एवं अन्य'' [(1997) एस.सी.सी. 766]** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ लोगों को त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है तो वह अन्य लोगों के लिये उस लाभ को प्राप्त करने का आधार नही बन सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया समानता के अधिकार को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(7) उपरोक्तानुसार श्री **हरीश तिवारी एवं अन्य 04, सभी अभ्यावेदनकर्ता सेवानिवृत्त कार्यभारित स्थापना के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को कंडिका कमांक 04 (इ) के अनुसार उन्हें उनकी सेवा अवधि एवं पद के अनुरूप कमोंन्नति/समयमान वेतनमान योजना का लाभ दिनांक 01.01.2016 से दिया जा चुका है । याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका दायर करने में किये गए अत्यधिक विलम्ब को देखते हुए उन्हें रिट याचिका के माध्यम से चाहे गए लाभ वास्तविक देय दिनांकों से प्राप्त करने हेतु अपात्र घोषित किया जाता है । रिट याचिका कमांक 25086/2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 के परिपालन में याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 11.04.2022 को अमान्य करते हुये निरस्त किया जाता है।**

16/1
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 572 /प्र.अ.(विधि)/लोस्वायांवि./2024 **भोपाल, दिनांक** 16/01/2024

प्रतिलिपि :-

(1)मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(2)अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, मंडल इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(3)अधीक्षण यंत्री (प्रशासन), कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, जल भवन,बाणगंगा ,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(4)कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग संधारण खंड कमांक--2 इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(3)श्री------------------------- सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारी पता-------------------- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

16/1
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल मध्यप्रदेश